न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 20/2023

प्रार्थी :-

1. टेलाराम पुत्र गोविन्दराम जाति मेगवाल निवासी नेवरी ढाणा, तहसील कल्याणपुर, जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. उदाराम पुत्र जोगाराम
2. मेघाराम पुत्र जोगाराम
3. हमीराराम पुत्र जोगाराम
4. पप्पाराम पुत्र डूंगराराम जाति मेगवाल
5. हेमाराम पुत्र पेमाराम
6. किशनाराम पुत्र पेमाराम
7. पूनाराम पुत्र रूपाराम
8. मंगलाराम पुत्र रूपाराम
9. कुंभाराम पुत्र चौथाराम सभी जातियान जाट
10. सोनाराम पुत्र जोगाराम
11. चोलाराम पुत्र सोनाराम
12. छोटाराम पुत्र कुम्भाराम
13. नरपतराम पुत्र कुम्भाराम
14. बींजाराम पुत्र कुम्भाराम
15. मानाराम पुत्र डूंगराराम
16. कानाराम पुत्र जीवाराम
17. चौथाराम पुत्र जीवाराम
18. डूंगराराम पुत्र समाराम (रामाराम)
19. नेमाराम पुत्र शीवजीराम
20. बाबुराम पुत्र डूंगराराम
21. महेन्द्र कुमार पुत्र [illegible] सभी जातियान [illegible]
22. अणदाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट
23. वंशाराम पुत्र माधुराम जाति मेघवाल
24. जालाराम पुत्र खेताराम जाति मेघवाल
25. गोरधनराम पुत्र रावताराम जाति मेघवाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 21:05:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

26. पुरखाराम पुत्र रावताराम जाति मेघवाल सभी निवासीयान नेवारी ढाणा तहसील कल्याणपुर

27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कल्याणपुर,जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :–

1. श्री पूनमाराम चौधरी, प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. विप्रार्थी संख्या 1 से 31 एक पक्षीय

'आदेश

दिनांक :– 31.03.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत सरहद मौजा नेवरी ढाणा पटवार क्षेत्र नेवरी भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब खसरा संख्या 317 रकबा 30 बीघा 06 विस्वा (7.6637) किस्म बा.अ में अवस्थित है। उक्त खसरा की भूमि पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा कश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा ग्राम मौजा नेवरी पटवार क्षेत्र नेवरी भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब तहसील कल्याणपुर के खसरा संख्या 317 रकबा 30 बीघा 06 विस्वा (7.6637) किस्म बा.अ.की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया, बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। विप्रार्थी संख्या 1 से 26 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नही ... के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 21:05:57 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गया। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम मौजा नेवरी ढाणा पटवार क्षेत्र नेवरी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब खसरा संख्या 317 रकबा 30 बीघा 06 विस्वा (7.6637) किस्म बा.अ. भूमि आई हुई है । जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी संख्या 1 से 26 की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थी संख्या 1 से 26 द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है , और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा नेवरी ढाणा पटवार क्षेत्र नेवरी भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब खसरा संख्या 317 रकबा 30 बीघा 06 विस्वा (7.6637) किस्म बा.अ. भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे ।

हमने वकील प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान फर्द का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया । जिसमे पाया कि मौजा नेवरी ढाणा पटवार क्षेत्र नेवरी भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब खसरा संख्या 317 रकबा 30 बीघा 06 विस्वा (7.6637) किस्म बा.अ. भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2073—2076 व नक्शा ट्रेस खसरा संख्या 317 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार है। तथा विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 26 को बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामील के हाजिर नही हुए है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है । लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर नेवरी ढाणा पटवार क्षेत्र नेवरी भू.अभिलेख

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 21:05:57 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

निरीक्षक क्षेत्र थोब खसरा संख्या 317 रकबा 30 बीघा 06 विस्वा (7.6637) किस्म बा. अ. भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबदी करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 26 को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे । कमिश्नर फीस 500/– प्रार्थी मौके पर अदा करेगे। आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त कर सकते है पालना रिपोर्ट पेश होने पर शामिल मिसल हो ।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आज दिनांक 31.03. 2023 को आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 21:05:57 IST
Reason: SelfAttested